जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

प्रेष्य.

प्रबन्धक,

ज्ञान अनंत विद्यालय अतरौली,

पत्रांक/शि०स०/ 6541-42

/2020-21

दिनांक: 28/11/2020

विशय: - प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5) की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में। महोदय/महोदय.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2020 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से ज्ञान अनंत विद्यालय अतरौली, गाजियाबाद को कक्षा—01 से कक्षा—05 तक हेतु दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अविध के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 27.11.2020 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति/अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ—

1. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसायटी / रिजस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।

- विद्यालय किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- 3. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

4. विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

- 5. विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन करेगा।
- 6. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव व मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियाँ तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

 विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड, एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/ निकाय का प्रतीक चिन्ह एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

- 10. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 11. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मण्डलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी हारा किसी विद्यालय से सूचना मॉगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12. शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होगी तथा अंकों के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी।

13. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म,जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

14. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धातों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

15. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

- 16. मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये।
- 17. मान्यता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा।

Manager

Gyan Anant Vidyalaya

Atrouli, Ghaziabad

18 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 (यथा

मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का

20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

21. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूचित में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

22. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व्यय इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई बृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब बृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शलक लिया जा सकता है:-

शिक्षण शुल्क, मंहगाई शुल्क, विकास शुल्क, बिजली, पानी आदि, कीडा शुल्क, परीक्षा/मूल्यांकन शुल्क, विद्यालय समारोह / उत्सव शुल्क, विशेष विषयों की शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

24. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12-(1)(सी.) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उसके पूरा होने तक

एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

26. जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालय के ट्रस्ट के विवाद का कोई आदेश किसी स्तर अथवा न्यायालय से विपरीत आदेश

पारित होता है तो यह मान्यता पारित होने वाले आदेश से प्रतिबन्धित होगी।

भवदीय.

(ब्रजभूषण चौघरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ्रिगाजियाबाद।

पुठसं० / मान्यता / /2019-20 तददिनांक-प्रतिलिपि - निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र गाजियाबाद। कार्यालय प्रति।

> जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

Atrouli, Ghaziabad

प्रेषक.

माध्यम- हिन्दी / अंग्रेजी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

प्रेष्य

प्रबन्धक,

ज्ञान अंनत विद्यालय, अतरौली, गाजियाबाद। पत्रोंक /शि०स० / मान्यता / न्1०१ ७ - ) ह

/2020-21

दिनांक: 0 6 /1 (202)

विषय :- जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

नहोदय / महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2020 एवं इस सन्दन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से ज्ञान अंनत दिद्यालय, अतरीली, गाजियाबाद को कक्षा—06 से कक्षा—08 तक हेतु दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अविध के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 02.01. 2020 की कार्यवाही में व्यक्त सहमित/अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हैं—

विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सांसायटी / रिजस्ट्रंशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पजीकृत व नवीनीकृत

हो।

विद्यालय किसी भी व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।

 मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गागन की लातस्था की जायेगी।

5. विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर निर्गत शासनादेशों विभागीय आदेशों तथा

मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन करेगा।

भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव व मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियाँ तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

 विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड, एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/ निकाय का प्रतीक चिन्ह एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

10. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। स्वण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनसे जन्म स्तर के शिक्षा निभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मण्डलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्या एव सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी

जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. शिक्षा का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी।

13. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवाय होगा।

14. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धातों का पूर्णत; अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

15. विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

16. मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार

न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होता हार्कियो। 17. मान्यता प्राप्त प्राथमिक मिन्न जार्थामिक विद्यालय के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रवन्धतन्त्र हारी अपने निजी

Gyan Anant Vidyalaya इ शिक्षा भेजिएर, गाजियाबाद

यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षक योग्यता वहीं होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश असिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1931 (अद्यान संशोधित) में निहित है। कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायरा। उन्ह प्राथमिक विद्यास्य के शिक्षकों की शैक्षिक प्राप्तता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कृत (५०,६०,६०,६०) (अध्यापको की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली 1978 (यथा संशोधित) के अनुसार हागी

19. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठ्यपुस्तकों

का उपयोग किया जायेगा।

20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुमाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी मी विद्यालय को शास्त्र विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

21. विद्यालय बच्चों को नि.शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं अनुसूचित में

विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखरा

22. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाल छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम

स्तर एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

23. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन अनुरक्षण लाग इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिये पर्यापा हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क सं विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई बृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब बृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:--

शिक्षण शुल्क, मंहगाई शुल्क, विकास शुल्क, बिजली, पानी आदि, कीडा शुल्क, परीक्षा/मूल्यांकन शुल्क. विद्यालय समारोह / उत्सव शुल्क, विशेष विषयों की शिक्षा जैसे कम्प्यूटर, संगीत आदि। पंजीकरण शुल्क. मवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा

वार्षिक आय में बचत का उपयाग दिद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

24. एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

25. जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अभीत मान्यता प्रदत्त किसी दिद्यालय ने मान्यता की शर्ता में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय.

(ब्रजभूषण चौधरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्चिगाजियाबाद।

नुवस्व / मान्यता /

/2020-21

तददिनांक-प्रतिलिपि- निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक मेरठ, मण्डल मेरठ।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गारिनगाबाद।

3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

> Principal Principal Gvan Anant Vidyalaya Atrouli, Ghaziabad.

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांकः शि०स०/मान्यता/ 81-82 /2022-23 दिनांक 05/4/2012

प्रबन्धक, ज्ञान अंनत विद्यालय, अतरौली, गाजियाबाद।

आपके पत्र दिनांक 04.03.2022 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक सं० शि०स०/6541-42/2020-21 दिनांक 28.11.2020 एवं पत्रांक सं० शि०स०/मान्यता/ 7016-18/2020-21 दिनांक 06.01.2021 द्वारा विद्यालय को 01-05 तथा कक्षा 06 से कक्षा 08 तक मान्यता प्रदान की गई है।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 01.04.2022 के आधार पर तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थाई मान्यता हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की वायेगी।

> (ब्रज भूषण पीनरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमुजियाबाद

पृ०स0:शि०स०/

/ 2022-23 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र भोजपुर को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबांद

Manager
Gyan Anant Vidyalaya
Atrouli, Ghaziabad